

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6 / वि०पत्रा०-24-33 / 2025

पटना, दिनांक:-

श्री विजय कुमार, उप सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043 / वि० दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-3(G)(i) एवं लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 के परिशिष्ट के कंडिका-7(1) के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022-25 में अनुमान्य छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) को अग्रणित करते हुए अगले ब्लॉक वर्ष 2026-29 के प्रथम वर्ष में दिनांक 12.04.2026 से 17.04.2026 तक की अवधि में पत्नी के साथ वेल्लोर (तमिलनाडु) की यात्रा करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / —

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-33 / 2025 1121 पटना, दिनांक:- 31/03/26
प्रतिलिपि :—महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं श्री विजय कुमार, उप सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच०आर०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

नीतू
30.03.26

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।